न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0:–36 / 2021 रजू दिनांक:– 01.03.2021

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. सुग्रीव पुत्र मिश्रा
2. भरोसी पुत्र मिश्रा
3. ज्ञानसिंह पुत्र मिश्रा
4. हरिसिंह पुत्र मिश्रा
5. ओमवती पुत्री रधुवीर
6. पुष्पा पुत्री रधुवीर
7. हरपति पुत्री रधुवीर
8. धनबाई पत्नि रधुवीर
9. नरेश पुत्र रधुवीर
10. रमेश पुत्र रधुवीर
11. मोहनसिंह पुत्र रधुवीर

जातियान गूर्जर निवासीयान लुहारखेडा तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. बिजेन्द्र पुत्र बाबू
2. कौशिक पुत्र बाबू

जातियान गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिनांक:–23.12.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0न0 288 / 0.48 है0 वादीगण की खातेदारी, कब्जेकाश्त की भूमि है, जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 तक मे वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है, इस भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, वादीगण ने ही इस आराजी मे काश्त की है। प्रतिवादीगण लट्ठ वाले आदमी है जो वादीगण की इस भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है, वादी[illegible] 26.02.2021 को देखभाल कर रहे थे कि प्रतिवादीगण हाथो मे लाठी लेकर आ[illegible] के कुछ हिस्से मे मिट्टी आदि डालकर मकान निर्माण करने की तै[illegible] मे मिट्टी आदि डालकर मकान निर्माण करने की तैयारी कर दी [illegible] तथा नीव खोदकर [illegible] का निर्माण करने की धमकी दी है। वादीगण ने प्रतिवादी[illegible] को काफी समझाया, [illegible] नही माने, इससे वादीगण के हकूको को नुकसान होने की संभावना है, इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:03:20 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीणा)

Scanned with OKEN Scanner

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0न0 288/0.48 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे, तथा इस भूमि मे मिट्टी आदि डालकर मकान का निर्माण नही करे, तथा ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादीगण को क्षति पहुचे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम लुहारखेडा ख0न0 288/0.48 है0 वादीगण की खातेदारी, कब्जेकाश्त की भूमि है, जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 तक मे वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है, इस भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, प्रतिवादीगण लट्ठ वाले आदमी है जो वादीगण की इस भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादपत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 288/0.48 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे, तथा इस भूमि मे मिट्टी आदि डालकर मकान का निर्माण नही करे, तथा ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादीगण को क्षति पहुचे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम लुहारखेडा की जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के ख0न0 288/0.48 है0 मे वादीगण मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के अलावा अन्य कोई खातेदार दर्ज रिकार्ड नही है, अर्थात प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड नही है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से तथा रिकार्ड मे खातेदार दर्ज नही होने से वादीगण का दावा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0न0 288/0.48 है0 मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:03:20 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बड़ीसीम, जिला-जगतपुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner